भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2144

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य

†2144. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है देश में कुल आत्महत्या के मामलों में छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले लगभग 7.6 प्रतिशत हैं, जो युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य के गंभीर मुद्दे को दर्शाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में जिले-वार मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के तहत वर्ष-वार कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) ऐसे स्कूल/कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्षवार संख्या कितनी है जहां सक्रिय छात्र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम/घटक लागू किए गए हैं;

(घ) डीएमएचपी के तहत कितने छात्र लाभार्थियों तक पहुँच बनाई गई है जिसमें काउंसलिंग सत्र, रेफरल और छात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए संसाधन आवंटन शामिल हैं; और

(ङ) क्या छात्रों के बीच आत्महत्याओं को कम करने में डीएमएचपी के प्रभाव की कोई समीक्षा या ऑडिट की गई है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष और लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2022 में देश में हुई कुल आत्महत्याओं में से लगभग 7.6% आत्महत्याएं छात्रों द्वारा की गईं।

(ख) भारत सरकार देश में मानसिक विकारों के भार को कम करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को पिछले तीन वर्षों में क्रमशः 716, 743 और 767 जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर बुजुर्गों सहित सभी

के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बहिरंग रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनोसामाजिक अंतक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को निरंतर परिचर्या और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग रोगी सुविधा का प्रावधान है।

(ग) से (ड़) डीएमएचपी के तहत, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए लक्षित अंतक्षेप कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लक्षित अंतक्षेप कार्यक्रमों के अंतर्गत, देश भर के जिलों में निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित किए जाते हैं:

i. विद्यालयों में जीवन कौशल शिक्षा एवं काउंसलिंग - प्रत्येक 25-30 विद्यालयों वाले ब्लॉक से 100 शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
ii. महाविद्यालय काउंसलिंग सेवाएं - महाविद्यालय शिक्षकों को काउंसलर के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
iii. मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित विद्यालय से बाहर के बच्चों का काउंसलिंग/ किशोर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
iv. आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2025-26 में डीएमएचपी के तहत छात्रों के लिए किए गए लक्षित अंतक्षेपों के हिस्से के रूप में, वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 30.09.2025 तक) में स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित 5111 काउंसलिंग सत्रों के माध्यम से 65278 छात्रों को काउंसलिंग सेवाएं प्रदान की गईं।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.81 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) के विभिन्न संवर्गो के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई हैं।

आयुष्मान भारत विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के अंतर्गत "भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य" को एक समर्पित मॉड्यूल के रूप में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य और कल्याण अम्बेस्डर (शिक्षकों) को कार्यक्रम के अन्य विषयगत क्षेत्रों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वे छात्रों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करते हैं और साप्ताहिक सत्रों के माध्यम से रुचिकर शिक्षण को बढ़ावा देते हुए संदेशों का प्रसार करते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) किशोर-हितैषी स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य और आरोग्य दिवस (एएच एंड डब्ल्यूडी) जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करता है और परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। सहकर्मी शिक्षक समुदाय में 15-20 बालकों और बालिकाओं के समूह बनाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सहित किशोर स्वास्थ्य पर साप्ताहिक एक से दो घंटे के सहभागी सत्र आयोजित करते हैं।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए देशभर के छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मनोदर्पण नामक एक पहल शुरू की है। मनोदर्पण पहल के अंतर्गत किए जाने वाले सभी कार्यकलाप स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भी शामिल हैं, के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 13.04.2023 को उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्रों के स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें छात्रों के लिए शारीरिक फिटनेस और खेल कार्यकलापों को बढ़ावा देने; शैक्षणिक दबाव, साथियों के दबाव, व्यवहार संबंधी समस्याओं, तनाव, आजीविका संबंधी चिंताओं, अवसाद और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर अन्य मुद्दों के खिलाफ सुरक्षा उपाय बनाने; छात्र समुदाय में सकारात्मक सोच और भावनाओं को सिखाने; और छात्रों के लिए एक सकारात्मक और सहायक नेटवर्क को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। दिनांक 27.11.2025 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर 29,82,000 से अधिक कॉल्स हैंडल की गई हैं।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस-10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है। टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे स्वस्थ जीवन से लेकर मानसिक विकारों तक जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। सरकार ने टेलीमानस के तहत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है, जो पहले से मौजूद ऑडियो कॉलिंग सुविधा का एक और उन्नत संस्करण है।

****